Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

डिजिटल जनगणना और परिसीमन का अंतर्संबंध: भारतीय संघवाद में उभरते तनाव तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व का भविष्य

Sumit
Independent Researcher, Charkhi Dadri, Haryana, India
sumitlatha00000@gmail.com
Mobile: 7015178583
ORCID: https://orcid.org/0009-0009-4556-0427

सारांश
भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और वर्तमान समय में वह अपनी लोकतांत्रिक यात्रा के एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण पर खड़ा है। लंबे समय से लंबित भारतीय राष्ट्रीय जनगणना को अब एक डिजिटल अभ्यास के माध्यम से संपन्न करने की औपचारिक योजना बनाई गई है। यह प्रक्रिया भारत के राजनीतिक मानचित्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकती है, जिसमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों तथा संसदीय क्षेत्रों के नए परिसीमन की संभावना भी शामिल है। इस शोध कार्य का प्राथमिक उद्देश्य भारत की आगामी परिसीमन प्रक्रिया और आधुनिक डिजिटल जनगणना के बीच मौजूद अंतर्संबंधों का अध्ययन करना है। साथ ही, विभिन्न राज्यों में असमान जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाले संघीय तनावों का विश्लेषण भी इस शोध का मुख्य केंद्र है।
हम देखते हैं कि भारत के दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण तथा मानव विकास के विभिन्न संकेतकों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। वर्तमान समय में ये राज्य इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले उत्तरी राज्यों के पक्ष में कहीं उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर न हो जाए।
संवैधानिक प्रावधानों, जनगणना के इतिहास तथा समकालीन राजनीतिक विमर्शों का विस्तृत विश्लेषण करते हुए यह शोध पत्र तर्क प्रस्तुत करता है कि डिजिटल जनगणना भले ही अधिक सटीकता और प्रशासनिक दक्षता प्रदान करे, लेकिन यह परिसीमन व्यवस्था में निहित गहरे राजनीतिक असंतुलनों को स्वतः समाप्त नहीं कर सकती। इस अध्ययन में पाया गया है कि यदि पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किए गए, तो परिसीमन प्रक्रिया केंद्र और राज्यों के बीच असमानताओं को और अधिक बढ़ा सकती है तथा सहकारी संघवाद की भावना को कमजोर कर सकती है। यह शोध पत्र सुझाव देता है कि भविष्य में राजनीतिक प्रतिनिधित्व को अधिक न्यायसंगत और समावेशी बनाने के लिए व्यापक परामर्श प्रक्रिया तथा नए संवैधानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी।

प्रमुख शब्द (**Keywords):** डिजिटल जनगणना, परिसीमन, संघवाद, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, भारत

प्रस्तावना

भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति और जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के बीच हमेशा से एक केंद्रीय संबंध रहा है। स्वतंत्र भारत में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया गया था। समय के साथ यह स्पष्ट होता गया कि जनसंख्या और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का यह संबंध केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक और संघीय संतुलन से भी जुड़ा हुआ विषय है। विशेष रूप से उन राज्यों के लिए यह प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है, जिनकी जनसंख्या वृद्धि राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक तेज या अधिक धीमी रही है। वर्तमान समय में जनसंख्या परिवर्तन और राजनीतिक न्याय के बीच तनाव पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है।

भारत की अंतिम जनगणना वर्ष 2011 में आयोजित की गई थी। इसके बाद वर्ष 2021 में होने वाली जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई। महामारी का प्रभाव भारत के लगभग प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ा और जनगणना प्रक्रिया भी इससे प्रभावित हुई। परिणामस्वरूप, यह प्रक्रिया लंबे समय तक लंबित रही। वर्ष 2024 के दौरान भारत सरकार द्वारा ऐसे संकेत दिए गए कि जनगणना प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ किया जाएगा और इसके लिए आधुनिक डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत मोबाइल आधारित डेटा संग्रहण, आधार एकीकरण तथा वास्तविक समय डैशबोर्ड जैसी तकनीकों के उपयोग की योजना बनाई गई। इन आधुनिक तकनीकों के समावेश के कारण इसे भारत की पहली डिजिटल जनगणना कहा जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार यह परिवर्तन अधिक सटीकता, तेज डेटा प्रसंस्करण तथा प्रशासनिक दक्षता प्रदान कर सकता है, किंतु इसके साथ-साथ गोपनीयता, डिजिटल बहिष्कार तथा आंकड़ों के राजनीतिक उपयोग से जुड़े गंभीर प्रश्न भी सामने आते हैं।

डिजिटल जनगणना के पूर्ण होने के बाद संवैधानिक रूप से आवश्यक परिसीमन प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जिसके अंतर्गत विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के अंतर्गत गठित परिसीमन आयोग नई जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करता है। हालांकि यह प्रक्रिया 1971 की जनगणना के बाद स्थगित कर दी गई थी और विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से इसकी अवधि वर्ष 2026 तक बढ़ाई गई। अब यह स्थगन समाप्ति के निकट है। इसका मूल उद्देश्य यह था कि राज्य अधिक संसदीय सीटें प्राप्त करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रमों की उपेक्षा न करें।

भारत की वर्तमान स्थिति में यह मुद्दा अत्यंत संवेदनशील बन चुका है। दक्षिणी राज्य जैसे कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु ने शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

सशक्तिकरण में दीर्घकालिक निवेश के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे उत्तरी राज्यों में प्रजनन दर अपेक्षाकृत अधिक बनी रही है। यदि परिसीमन केवल जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, तो संसद में उत्तरी राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है जबकि दक्षिणी राज्यों का अनुपातिक महत्व कम हो सकता है। यही कारण है कि यह विषय भारतीय संघवाद और राजनीतिक संतुलन से जुड़ी एक बड़ी बहस के रूप में उभरकर सामने आया है। यह शोध पत्र इन सभी चिंताओं का विश्लेषण करता है। इसमें यह समझने का प्रयास किया गया है कि डिजिटल जनगणना शासन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, परिसीमन किस प्रकार कार्य करता है, तथा यह विषय राजनीतिक रूप से इतना संवेदनशील क्यों बन गया है। अंततः यह शोध पत्र ऐसे संभावित मार्ग सुझाता है जिनके माध्यम से भारतीय लोकतंत्र, संघीय न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके।

कार्यप्रणाली

यह शोध पत्र गुणात्मक शोध पद्धति पर आधारित है, जिसमें संवैधानिक विश्लेषण, द्वितीयक आंकड़ों की समीक्षा तथा तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का प्रयोग किया गया है। इस शोध का दृष्टिकोण मुख्यतः वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक है, न कि अनुभवजन्य। इस प्रकार यह अध्ययन मुख्य रूप से तीन प्रमुख स्रोतों पर आधारित है।

प्रथम, प्राथमिक संवैधानिक स्रोतों का अध्ययन किया गया है, जिनमें भारतीय संविधान, वर्ष 1952, 1963, 1972 तथा 2002 के परिसीमन अधिनियम, साथ ही 42वें और 84वें संविधान संशोधन आदि को शामिल किया गया है। इन संवैधानिक और विधिक स्रोतों का विश्लेषण इसलिए आवश्यक था ताकि जनगणना और परिसीमन को नियंत्रित करने वाले भारतीय विधिक ढांचे को व्यवस्थित और गहन रूप से समझा जा सके।

द्वितीय, लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान से संबंधित द्वितीयक साहित्य की समीक्षा की गई है। इसमें ग्रैनविल ऑस्टिन, एलिस्टेयर मैकमिलन तथा लुईस टिलिन जैसे विद्वानों द्वारा लिखित पुस्तकों, शोध पत्रों और अकादमिक कृतियों का अध्ययन किया गया है। इसके अतिरिक्त Economic and Political Weekly, Centre for Policy Research तथा Centre for the Study of Developing Societies के Lokniti Programme द्वारा प्रकाशित हालिया नीति पत्रों और शोध अध्ययनों को भी इस शोध पत्र में शामिल किया गया है।

तृतीय, वर्ष 2021 से 2024 के बीच प्रकाशित समाचार पत्रों, सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों, संसदीय बहसों तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दिए गए वक्तव्यों का अध्ययन किया गया है। इन स्रोतों का उपयोग इसलिए किया गया ताकि यह समझा जा सके कि डिजिटल जनगणना और आगामी परिसीमन को लेकर राजनीतिक विमर्श किस प्रकार विकसित हुआ तथा यह विषय किस प्रकार एक महत्वपूर्ण और चर्चित राजनीतिक मुद्दे के रूप में उभरकर

सामने आया। शोध की आवश्यकता के अनुसार, जहां उपयुक्त लगा वहां अन्य संघीय लोकतंत्रों–विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी–की परिसीमन प्रक्रियाओं के साथ भारतीय परिसीमन व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया है। इसका उद्देश्य वैकल्पिक संरचनात्मक मॉडलों के माध्यम से इस विषय को अधिक गहराई से समझना था। इस अध्ययन के अंतर्गत किसी भी प्रकार का प्राथमिक क्षेत्रीय कार्य अथवा प्रत्यक्ष सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

डिजिटल जनगणना : एक विश्लेषण

प्रस्तावित डिजिटल जनगणना भारत में अब तक संपन्न हुई सभी जनगणनाओं की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाती है। भारत में परंपरागत रूप से रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) द्वारा जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाती रही है। प्रथम चरण में मकानों का सूचीकरण तथा आवास संबंधी जानकारी एकत्रित की जाती है, जबकि दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना का कार्य किया जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत लाखों जनगणना कर्मी विभिन्न क्षेत्रों में घर-घर जाकर कागजी प्रपत्रों को भरते थे, जिसके माध्यम से जनगणना का कार्य पूरा किया जाता था। भारत की विशाल जनसंख्या के कारण यह प्रक्रिया एक विशाल प्रशासनिक अभ्यास रही है, जिसमें कम गणना, विलंब तथा विभिन्न प्रकार की असंगतियों जैसी समस्याएं अक्सर देखने को मिलती थीं। वर्तमान जनगणना के लिए भारत सरकार द्वारा डिजिटल जनगणना योजना के अंतर्गत नागरिकों को स्वयं अपनी जानकारी दर्ज करने का अवसर प्रदान किया गया है। इसके माध्यम से नागरिक अपने मोबाइल फोन, एप्लीकेशन अथवा ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपनी जानकारी स्वयं भर सकेंगे। जिन लोगों के पास इस कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी, उनके घर जाकर जनगणना अधिकारी और कर्मचारी जानकारी एकत्रित करेंगे तथा उस डेटा को ऑनलाइन दर्ज करेंगे। इस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त आंकड़ों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) तथा संभावित रूप से आधार आधारित पहचान सत्यापन के साथ जोड़ा जा सकता है।

वास्तविक समय डैशबोर्ड अधिकारियों को प्रतिक्रिया दर पर सटीक निगरानी रखने तथा उन क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता प्रदान करेगा, जहां अतिरिक्त पहुंच और प्रशासनिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। शासन की दृष्टि से यह माना जा रहा है कि डिजिटल प्रणाली के कई स्पष्ट लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि डिजिटल डेटा संग्रहण में प्रतिलिपि संबंधी त्रुटियों की संभावना कम होगी, आंकड़ों का संकलन अधिक तेज गति से होगा तथा परिणाम अपेक्षाकृत शीघ्र जारी किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त यह प्रक्रिया SECC, NFHS, NSSO तथा विभिन्न राज्य स्तरीय डेटाबेस जैसे प्रशासनिक अभिलेखों के साथ आंकड़ों का समन्वय स्थापित करने में भी सहायक होगी। इसका एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी होगा कि इन आंकड़ों के आधार पर कल्याणकारी योजनाओं, संसाधन वितरण तथा संरचनात्मक आवंटन से संबंधित नीतियां

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

बनाने वाले नीति-निर्माताओं को अधिक सटीक और गुणवत्तापूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। हालांकि, इसके साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। भारत में डिजिटल विभाजन अभी भी व्यापक स्तर पर मौजूद है। वर्ष 2023 तक भारतीय ग्रामीण आबादी के केवल लगभग 52 प्रतिशत लोगों के पास नियमित इंटरनेट सुविधा उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त दूरदराज के क्षेत्रों, विशेषकर झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा बिहार के कुछ हिस्सों में स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच अभी भी सीमित है। ऐसी स्थिति में महिलाएं, बुजुर्ग तथा हाशिए पर स्थित समुदाय इस प्रक्रिया में भाग लेने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं।
यदि डिजिटल प्रणाली के कारण इन समुदायों की गणना में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि रह जाती है, तो इससे वे आंकड़े भी प्रभावित हो सकते हैं जिनके आधार पर निष्पक्ष राजनीतिक प्रतिनिधित्व का निर्धारण किया जाना है।
इसके अतिरिक्त NPR के साथ डेटा को जोड़ने का मुद्दा भी अत्यंत संवेदनशील बना हुआ है। कुछ विपक्षी दलों और नागरिक समूहों द्वारा यह चिंता व्यक्त की गई है कि यदि जनगणना को NPR से जोड़ा जाता है, तो यह कहीं न कहीं निगरानी तंत्र का रूप ले सकता है। साथ ही दस्तावेजों की कमी के कारण कुछ समुदायों को वर्तमान और भविष्य की कल्याणकारी योजनाओं से बाहर किए जाने की आशंका भी व्यक्त की गई है। यही कारण है कि यह विवाद भारतीय जनगणना प्रक्रिया में देरी के प्रमुख कारणों में से एक बना हुआ है।
भाषाई पहुंच और सार्वजनिक विश्वास से जुड़े प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं तथा सैकड़ों बोलियां प्रचलित हैं। ऐसे में जनगणना प्रपत्रों और मोबाइल एप्लीकेशनों का उपयोगकर्ता-अनुकूल तथा बहुभाषीय होना अत्यंत आवश्यक है। यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पूर्व के अनुभव बताते हैं कि नौकरशाही भाषा में तैयार किए गए प्रपत्रों के कारण जाति, व्यवसाय और प्रवास संबंधी आंकड़ों में त्रुटियां उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए डिजिटल इंटरफेस को प्रभावी रूप से लागू करने से पहले संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को स्थानीय भाषाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त चुनौतियों के बावजूद डिजिटल जनगणना भारत में पहले आयोजित हुई जनगणनाओं की तुलना में अधिक सटीक, विस्तृत और अद्यतन आंकड़े प्रदान करने की क्षमता रखती है। यदि इस प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक, व्यापक जन-जागरूकता तथा क्षेत्रीय सत्यापन के साथ लागू किया जाए, तो यह कल्याणकारी योजनाओं और परिसीमन प्रक्रिया दोनों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने में अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकती है।

परिसीमन और उसका राजनीतिक प्रभाव :

यदि हम परिसीमन के सामान्य अर्थ को समझें, तो यह निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारित अथवा पुनर्निर्धारित करने की प्रक्रिया से संबंधित है। भारत में यह कार्य एक वैधानिक एवं स्वतंत्र निकाय, अर्थात् परिसीमन आयोग, द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

अनुच्छेद 82 और 170 के अंतर्गत संसद द्वारा इस आयोग की स्थापना की जाती है। परिसीमन आयोग के आदेश अंतिम माने जाते हैं तथा उन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। भारत के इतिहास में अब तक परिसीमन की प्रक्रियाएं 1951, 1961 और 1971 की जनगणनाओं के बाद आयोजित की गई थीं। वर्ष 1976 में किए गए संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा सीटों की संख्या 543 पर स्थिर कर दी गई तथा वर्ष 1971 की जनसंख्या को वर्ष 2000 तक सीट आवंटन का आधार बनाए रखा गया। इसके बाद वर्ष 2001 के 84वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस स्थगन को वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक बढ़ा दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि राज्य अधिक संसदीय सीटें प्राप्त करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रमों की उपेक्षा न करें।

यह स्थगन वर्ष 2026 के बाद समाप्त हो जाएगा और जैसे ही डिजिटल जनगणना के आंकड़े उपलब्ध होंगे, उसी के साथ नया परिसीमन कार्य अनिवार्य रूप से प्रारंभ होगा। इसके परिणामस्वरूप लोकसभा सीटों के पुनर्वितरण में बड़े परिवर्तन होने की संभावना है। लोकसभा सचिवालय तथा स्वतंत्र जनसांख्यिकीय विशेषज्ञों के अनुमानों के अनुसार, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों, जिनकी जनसंख्या वर्ष 1971 के बाद काफी अधिक बढ़ी है, को 20 से 30 तक अतिरिक्त सीटें प्राप्त हो सकती हैं। दूसरी ओर, दक्षिणी राज्यों की सीटों का अनुपातिक महत्व कम होने की संभावना दिखाई देती है। इस व्यापक परिवर्तन को समझने के लिए जनसंख्या संबंधी आंकड़ों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, वर्ष 1971 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 8.3 करोड़ थी और उसके पास लोकसभा की 85 सीटें थीं। वर्ष 2021 तक इसकी अनुमानित जनसंख्या बढ़कर लगभग 23.5 करोड़ से अधिक हो गई। दूसरी ओर, तमिलनाडु की जनसंख्या अपेक्षाकृत धीमी गति से बढ़ी। वर्ष 1971 में इसकी जनसंख्या लगभग 4.1 करोड़ थी, जो वर्ष 2021 तक बढ़कर लगभग 7.7 करोड़ तक पहुँची, जबकि उसके पास वर्तमान में 39 लोकसभा सीटें हैं।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यदि केवल जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का प्रतिनिधित्व काफी बढ़ जाएगा, जबकि तमिलनाडु जैसे राज्यों का अनुपातिक राजनीतिक महत्व कम हो सकता है। जनसंख्या के आधार पर उत्पन्न यह अंतर राजनीतिक शक्ति के वितरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अधिक सीटों वाले राज्यों को संसद में अधिक प्रभाव प्राप्त होगा, मंत्रिमंडल में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, गठबंधन राजनीति में उनकी दबाव क्षमता अधिक होगी तथा केंद्रीय संसाधनों और नीतिगत प्रक्रियाओं तक उनकी पहुंच मजबूत होगी। उच्च जनसंख्या वाले उत्तरी राज्यों में राजनीतिक शक्ति का यह केंद्रीकरण केवल दक्षिणी राज्यों की सरकारों के लिए ही चिंता का विषय नहीं है, बल्कि भारतीय तुलनात्मक संघवाद के विद्वानों के लिए भी एक

गंभीर प्रश्न बना हुआ है। यह स्थिति संघीय व्यवस्था की एक संरचनात्मक विकृति के रूप में भी देखी जा रही है।

यदि जातिगत आधार पर परिसीमन के प्रभाव की चर्चा करें, तो इसका प्रभाव अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। नए परिसीमन के अंतर्गत SC/ST आबादी के भौगोलिक वितरण के आधार पर यह पुनः निर्धारित किया जाएगा कि कौन-सी सीटें आरक्षित होंगी और कौन-सी नहीं। इस प्रकार परिसीमन सामाजिक प्रतिनिधित्व तथा ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों के राजनीतिक अवसरों को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा। डिजिटल जनगणना से प्राप्त होने वाले आंकड़े इन सभी परिवर्तनों के स्वरूप और स्तर को निर्धारित करेंगे। यही कारण है कि जनगणना आंकड़ों की सटीकता, राजनीतिक निष्पक्षता और पूर्णता अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि किसी क्षेत्र अथवा समुदाय की गणना डिजिटल बहिष्कार, प्रशासनिक उपेक्षा या राजनीतिक प्रभाव के कारण कम हो जाती है, तो परिसीमन के परिणाम विकृत हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में बाद में उन त्रुटियों को सुधारना अत्यंत कठिन कार्य सिद्ध हो सकता है।

संघीय चुनौतियाँ और राजनीतिक प्रतिनिधित्व :

भारत का संघीय ढांचा केंद्र की सर्वोच्चता और राज्यों के अधिकारों के बीच एक मजबूत संतुलन पर आधारित है, जो इसे अनेक राज्यों से मिलकर बना एक अनूठा संघ घोषित करता है। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची भारत की विधायी शक्तियों को तीन सूचियों–संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची–में विभाजित करती है। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध हमेशा से विवाद और विमर्श का एक प्रमुख विषय रहे हैं। जनगणना और परिसीमन के बीच का संबंध इस निरंतर चल रही संवैधानिक प्रक्रिया में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम जोड़ देता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में मुख्यतः भारतीय संघीय चुनौती स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसमें वे राज्य शामिल हैं जिन्होंने विकास कार्यक्रमों, विशेष रूप से शिक्षा और परिवार नियोजन जैसी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है, परंतु आज वे कहीं न कहीं अपनी उपलब्धियों के कारण स्वयं को वंचित और दंडित महसूस कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और केरल के वित्त मंत्री दोनों ने सार्वजनिक रूप से यह तर्क दिया है कि जनसंख्या आधारित परिसीमन दक्षिणी राज्यों के साथ एक प्रकार का अन्याय है। उनके अनुसार यह व्यवस्था कहीं न कहीं जनसांख्यिकीय गैर-जिम्मेदारी को पुरस्कृत करती है तथा उन राज्यों को प्रभावित और दंडित करती है जिन्होंने मानव संसाधन विकास में दीर्घकालिक निवेश किया है। यह दृष्टिकोण दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य में व्यापक रूप से साझा किया जाता है।

यह चिंता केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के राजकोषीय संघवाद तक भी विस्तारित होती है। वित्त आयोग द्वारा करों के बंटवारे की प्रक्रिया, जो यह निर्धारित करती है कि प्रत्येक राज्य को केंद्र के करों में कितना हिस्सा प्राप्त होगा, उसमें

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

भी जनसंख्या को एक महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में प्रयोग किया जाता है। यदि परिसीमन और वित्तीय बंटवारा दोनों ही उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों के पक्ष में झुकते हैं, तो इसका सीधा प्रभाव दक्षिणी राज्यों की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर पड़ेगा। भारतीय 15वें वित्त आयोग, जिसका गठन वर्ष 2017 में किया गया था, ने भी दक्षिणी राज्यों के विरोध के बावजूद आंशिक रूप से वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर भविष्य की नीतिगत दिशा का संकेत दिया था। यह केवल भारत के उत्तर और दक्षिण के विभाजन का विषय नहीं है, बल्कि भारतीय संघीय व्यवस्था में उत्पन्न एक व्यापक तनाव का संकेत है। इस संदर्भ में दक्षिणी राज्यों के साथ-साथ पूर्वोत्तर भारत के छोटे राज्य जैसे मेघालय, नागालैंड और मिजोरम भी महत्वपूर्ण हैं। इन राज्यों की जनसंख्या संरचना विशिष्ट है तथा उन्हें भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत विशेष संरक्षण प्राप्त है। इन राज्यों को भी यह आशंका है कि जनसंख्या आधारित परिसीमन न केवल उनके राजनीतिक ढांचे को प्रभावित करेगा, बल्कि उनके जनजातीय प्रतिनिधित्व को भी कमजोर कर सकता है। दूसरी ओर सिक्किम और गोवा जैसे छोटे राज्यों को भी यह चिंता है कि बड़े जनसंख्या और बड़े क्षेत्रफल वाले राज्यों का प्रभुत्व अत्यधिक बढ़ जाएगा, जिसके कारण वे स्वयं को राजनीतिक रूप से हाशिए पर महसूस कर सकते हैं।

दूसरी ओर हम देखते हैं कि इस संघीय चुनौती का एक संस्थागत पक्ष भी है। परिसीमन आयोग भारतीय केंद्र का एक निकाय है, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसमें निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि तथा राज्य विधानसभाओं के सहयोगी सदस्य भी शामिल होते हैं, परंतु इन सहयोगी सदस्यों को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होता। इसलिए राज्य सरकारों के पास परिसीमन संबंधी निर्णयों को प्रभावित करने या उन्हें चुनौती देने की औपचारिक शक्ति अत्यंत सीमित होती है, जबकि ये निर्णय सीधे संसद में उनके राजनीतिक महत्व को प्रभावित करते हैं। परिसीमन आयोग की केंद्रीकृत प्रकृति और उसके संघीय प्रभावों के बीच मौजूद यह अंतर एक संरचनात्मक समस्या के रूप में दिखाई देता है, जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तुलनात्मक अनुभव इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी शिक्षाएँ प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, जर्मनी की निर्वाचन प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व और निर्वाचन क्षेत्र आधारित मतदान का संयोजन करती है, जो असंतुलित परिणामों को रोकने के लिए समायोजन की अनुमति देती है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में भी निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण को लेकर इसी प्रकार के तनाव देखे गए हैं। वहां अनेक राज्यों ने इस प्रक्रिया को प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण से दूर रखने के लिए स्वतंत्र पुनर्सीमांकन आयोगों (Independent Redistricting Commissions) की स्थापना की है। यह व्यवस्था परामर्श आधारित और चरणबद्ध तरीके से परिसीमन प्रक्रिया को संचालित करती है तथा जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करती है।

उपरोक्त उदाहरण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सीख के रूप में कार्य कर सकते हैं। कुछ विद्वानों और नीति विशेषज्ञों, जैसे Carnegie Endowment के मिलन वैष्णव और अशोक मोदी, ने परिसीमन प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया है। इस समस्या का एक विकल्प यह हो सकता है कि केवल जनसंख्या को आधार न बनाकर जनसंख्या के साथ-साथ क्षेत्रफल, विकास संकेतकों तथा मतदाता भागीदारी को मिलाकर एक संयुक्त सूचकांक तैयार किया जाए, जिसके आधार पर सीटों का निर्धारण किया जा सके। दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि लोकसभा की कुल सीटों की संख्या इस प्रकार बढ़ाई जाए कि किसी भी राज्य को पूर्ण रूप से सीटें न खोनी पड़ें, भले ही उसका अनुपातिक हिस्सा कम हो जाए। यह कोई नई प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि भारतीय राजनीतिक इतिहास में इसके उदाहरण पहले भी मिलते हैं। संविधान सभा की बहसों से यह स्पष्ट होता है कि जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय संतुलन के बीच सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता को उस समय भी समझा गया था।

इसके अतिरिक्त राजनीतिक समय-निर्धारण भी एक महत्वपूर्ण कारक है। आगामी आम चुनावों और गठबंधन राजनीति की बदलती परिस्थितियाँ यह संकेत देती हैं कि परिसीमन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाली किसी भी सरकार पर क्षेत्रीय दलों का भारी दबाव होगा। इसके परिणामस्वरूप या तो यह प्रक्रिया और अधिक विलंबित हो सकती है, अथवा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व को ऐसे समझौते करने पड़ सकते हैं जो किसी भी पक्ष को पूर्ण रूप से संतुष्ट न कर सकें। इसलिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और व्यापक संस्थागत सहमति परिसीमन की राजनीति को संतुलित ढंग से संचालित करने के लिए अत्यंत आवश्यक होगी। नागरिक समाज तथा शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका भी इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिसीमन के मानदंडों, डिजिटल जनगणना की कार्यप्रणाली तथा कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों पर खुली सार्वजनिक बहस इस प्रक्रिया की वैधता को और अधिक मजबूत बना सकती है। भारतीय निर्वाचन आयोग, भले ही प्रत्यक्ष रूप से परिसीमन के लिए उत्तरदायी न हो, फिर भी मतदाता सूचियों को अद्यतन बनाए रखने तथा निर्वाचन क्षेत्र स्तर के आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने के माध्यम से इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

निष्कर्ष :

वर्तमान भारतीय राजनीति में डिजिटल जनगणना और परिसीमन का परस्पर संबंध सबसे अधिक चर्चित और महत्वपूर्ण विषयों में से एक बन चुका है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात राजनीतिक प्रक्रियाओं और संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनेक चरणों में यह विषय विशेष महत्व रखता है। अब यह देखना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा कि भारत इस परिवर्तनशील प्रक्रिया को किस प्रकार संभालता है, क्योंकि इससे भारतीय लोकतंत्र के स्वास्थ्य तथा उसकी संघीय संरचना की मजबूती के बारे में कई महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट होंगे।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

वर्ष 2026 की प्रस्तावित डिजिटल जनगणना, अपनी सभी संभावनाओं के बावजूद, केवल एक तकनीकी अभ्यास नहीं है। इसके माध्यम से प्राप्त होने वाले आंकड़े आने वाले दशकों तक भारत के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक संरचना को नया स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है कि इस जनगणना से प्राप्त आंकड़े पूर्णतः सटीक, समावेशी तथा राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त हों। इसे एक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि यदि इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न कर सकती है। इससे न केवल केंद्र और राज्यों के बीच तनाव बढ़ सकता है, बल्कि भारत की विकास प्रक्रिया पर भी प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है। चूँकि भारत एक विकासशील राष्ट्र है, इसलिए इस प्रकार के कार्य अत्यंत जागरूकता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संपन्न किए जाने चाहिए। साथ ही यह दायित्व उन व्यक्तियों और संस्थाओं को सौंपा जाना चाहिए जिनके पास इस प्रकार की प्रक्रियाओं का पर्याप्त अनुभव हो। यह केवल जनसंख्या की गणना का कार्य नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कदम है। भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना आयोजित होने जा रही है। जिस प्रकार इसके लाभ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, उसी प्रकार इसके समक्ष उपस्थित चुनौतियों और संभावित खतरों की उपेक्षा करना एक जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र की नैतिकता पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि भारत की विविधतापूर्ण जनता के बीच विश्वास बनाए रखा जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी नागरिक स्वयं को इस प्रक्रिया का समान भागीदार महसूस करें। इस संपूर्ण क्रियाकलाप को एक राष्ट्रीय दायित्व के रूप में स्वीकार करते हुए विशेष रूप से वंचित और पिछड़े क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना का विस्तार किया जाना चाहिए। साथ ही जनगणना की प्रक्रिया में जनता के विश्वास को मजबूत किया जाए तथा आंकड़ों के संग्रहण और संगठन की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखी जाए।

परिसीमन प्रक्रिया में भी कुछ बुनियादी सुधारों की आवश्यकता स्पष्ट रूप से महसूस होती है। ऐसे देश में, जहाँ विकास और जनसांख्यिकीय परिवर्तन व्यापक क्षेत्रीय असमानताओं के साथ मौजूद हैं, यदि सीटों के बंटवारे के लिए केवल जनसंख्या आधारित सूत्र को अपनाया जाता है, तो इससे ऐसे परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं जो तकनीकी रूप से उचित दिखाई दें, परंतु राजनीतिक और नैतिक दृष्टि से अन्यायपूर्ण प्रतीत हों। जब भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था, तब संविधान निर्माताओं को इस प्रकार की संभावित समस्याओं का आभास था। यही कारण है कि उन्होंने विभिन्न सुरक्षा संबंधी प्रावधानों, समय-समय पर समीक्षा की व्यवस्थाओं तथा संतुलनकारी उपायों को संविधान में शामिल किया। वर्तमान समय में आवश्यकता इस बात की है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व में "न्याय" के वास्तविक अर्थ पर एक नई संवैधानिक बहस प्रारंभ की जाए। ऐसी बहस, जो उन राज्यों के दृष्टिकोण और

दावों को गंभीरता से सुने और समझे, जिन्होंने विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसंख्या नियंत्रण जैसी जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है।

परिसीमन से जुड़ा यह संघीय तनाव केवल उत्तर बनाम दक्षिण का विवाद नहीं है, बल्कि यह उससे कहीं अधिक गहरे प्रश्न को प्रतिबिंबित करता है कि भारत भविष्य में किस प्रकार का संघ बनना चाहता है। क्या भारत ऐसा संघ बनना चाहता है जहाँ केंद्र सरकार का प्रभुत्व अत्यधिक हो, अथवा ऐसा संघ जहाँ विविध क्षेत्रों और समुदायों को वास्तविक राजनीतिक आवाज और सम्मान प्राप्त हो? परामर्श आधारित व्यवस्थाओं को मजबूत करना, सीटों के पुनर्वितरण के स्थान पर लोकसभा की कुल सीटों के विस्तार पर विचार करना, तथा परिसीमन के मानदंडों पर सभी राजनीतिक दलों के बीच व्यापक सहमति स्थापित करना ऐसे कदम हो सकते हैं जो भारत को अधिक संतुलित दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं और इस विवाद को काफी हद तक कम कर सकते हैं।

अंततः यह कहा जा सकता है कि भारतीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत के प्रत्येक नागरिक–चाहे वह देश के उत्तर में रहता हो या दक्षिण में–को यह महसूस हो कि उसके मत का समान महत्व है तथा इस राष्ट्र पर उसका अधिकार भी उतना ही है जितना किसी अन्य नागरिक का। भारत के नेतृत्व की राजनीतिक परिपक्वता, दूरदर्शिता और संवैधानिक समझदारी ही यह निर्धारित करेगी कि डिजिटल जनगणना और परिसीमन की यह संयुक्त प्रक्रिया भारत को अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और सशक्त लोकतंत्र की दिशा में आगे ले जा पाती है या नहीं।

संदर्भ सूची:

1. Austin, G. (1966). The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation. Oxford University Press.

2. Bhattacharyya, H. (2010). “Federalism in Asia: India, Pakistan and Malaysia.” Regional and Federal Studies, 20(3), 337–354.

3. Election Commission of India. (2008). Report on the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies. Government of India Press.

4. Government of India. (2002). The Delimitation Act, 2002 (No. 33 of 2002). Ministry of Law and Justice.

5. Government of India. (2020). Digital Census Guidelines: Proposed Framework for Census 2021. Ministry of Home Affairs.

6. Jha, S. K. (2019). “Delimitation and Political Representation in India: A Study of Federal Imbalances.” Indian Journal of Political Science, 80(2), 89–104.

7. Khosla, M. (2020). India’s Founding Moment: The Constitution of a Most Surprising Democracy. Harvard University Press.

8. McMillan, A. (2008). “Standing at the Margins: Representation and Electoral Reservation in India.” Electoral Studies, 27(2), 338–347.

9. Ministry of Electronics and Information Technology. (2022). Report on Internet and Mobile Penetration in Rural India. Government of India.
10. Mody, A. (2023). India Is Broken: A People Betrayed. Stanford University Press.
11. NITI Aayog. (2021). India Digital Ecosystem Report. Government of India.
12. Rao, M. G., & Singh, N. (2005). The Political Economy of Federalism in India. Oxford University Press.
13. Registrar General and Census Commissioner of India. (2011). Primary Census Abstract. Office of the Registrar General and Census Commissioner of India.
14. Registrar General and Census Commissioner of India. (2021). Census Preparedness and Digital Enumeration Framework. Government of India.
15. Rudolph, L. I., & Rudolph, S. H. (2010). "Federalism as State Formation in India: A Theory of Shared and Negotiated Sovereignty." International Political Science Review, 31(5), 553–572.
16. Sharma, K. (2021). "Digital Census and Data Privacy: Concerns for a Federal Democracy." Economic and Political Weekly, 56(14), 15–19.
17. Shastri, S., & Suri, K. C. (Eds.). (2012). Electoral Politics in Indian States: Lok Sabha Elections in 2004 and Beyond. Oxford University Press.
18. The Constitution of India. (2024). Government of India.
19. Tillin, L. (2013). Remapping India: New States and Their Political Origins. Hurst and Company.
20. Vaishnav, M. (2021). "Indian Democracy at 75: Defining Features and Future Directions." Journal of Democracy, 32(3), 60–74.
21. Yadav, Y., & Palshikar, S. (2008). "Ten Theses on State Politics in India." Seminar, 591, 14–22.